न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी के समक्ष

सतपाल - *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादीगण

2021 का सीडब्ल्यूपी नंबर 9743

16 जून, 2021

भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 226 - पदोन्नति और प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति की स्वीकृति न देना - हालांकि, याचिकाकर्ता को तीन स्कूलों में पोस्टिंग का विकल्प दिया गया था, जहां एनसीसी ईकाई प्राथमिक विद्यालय मुख्याध्यापक के पदोन्नत कैडर में उपलब्ध है, लेकिन याचिकाकर्ता ने प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इस बात पर अड़े रहे कि वह सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहलबा में तैनात रहने के हकदार हैं। जिला रोहतक जहां याचिकाकर्ता पिछले लगभग 15 वर्षों से सेवा कर रहा है जो आचरण के साथ-साथ सच्चे इरादे को दर्शाता है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए, पदोन्नति और प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति के संबंध में आपत्ति की अस्वीकृति को बरकरार रखा गया है।

निर्धारित किया गया कि वर्तमान मामले में, हालांकि, याचिकाकर्ता को तीन स्कूलों में पोस्टिंग का विकल्प दिया गया था, जहां एनसीसी ईकाई ***प्राथमिक विद्यालय*** मुख्याध्यापक के पदोन्नत कैडर में उपलब्ध है, लेकिन याचिकाकर्ता ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इस बात पर अड़ा रहा कि वह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहलबा जिला रोहतक (2647) में तैनात रहने का हकदार है। जहां याचिकाकर्ता पिछले लगभग 15 वर्षों से सेवा कर रहा है। यह आचरण के साथ-साथ सच्चे इरादे को भी दर्शाता है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(पैरा 18)

याचिकाकर्ता के वकील *मनोज मक्कड़।*

नरिंदर सिंह बेहगल, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा।

हरसिमरन सिंह सेठी जे (मौखिक)

(1) वर्तमान रिट याचिका दिनांक 07.05.2021 (अनुलग्नक पी-10) के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा पदोन्नति पर उनकी तैनाती के संबंध में उठाई गई आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया गया है। आगे की चुनौती 08.05.2021 के आदेश को दी गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहलबा, जिला रोहतक (2647) से कार्यभार मुक्त कर दिया गया था ताकि वह राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, मनेठी, जिला रेवाड़ी में पदभार ग्रहण कर सके।

(2) वर्तमान रिट याचिका में बताए गए तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को शुरू में 30.12.1997 को टीजीटी/अध्यापक (गणित) के रूप में संविदा/तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता को वर्ष 2006 में नियमित रूप से चयनित किया गया और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहलबा, जिला रोहतक (2647) में तैनात किया गया। सेवा में रहते हुए, याचिकाकर्ता ने 10.06.2013 से 07.09.2013 तक राष्ट्रीय कैडेट कोर (जिसे आगे 'एनसीसी' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) द्वारा आयोजित प्रत्यक्ष कमीशन पाठ्यक्रम में एसोसिएट एनसीसी अधिकारी नामित होने हेतु भाग लिया था। एनसीसी आयोग द्वारा 08.04.2013 को याचिकाकर्ता को अनुमोदन प्रदान करने के बाद यह पाठ्यक्रम शुरू किया गया था।

(3) वर्ष 2019 में याचिकाकर्ता को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बहलबा, जिला रोहतक (2647) से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बांसवा (3451) ब्लॉक कथूरा, जिला सोनीपत में स्थानांतरित कर दिया गया था। उक्त स्कूल में रहते हुए याचिकाकर्ता के पास एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर का प्रभार था। उक्त स्थानांतरण को याचिकाकर्ता द्वारा 2019 के सीडब्ल्यूपी नंबर 28800 दायर करके चुनौती दी गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को एक अंतरिम आदेश मिला और उसने राजकीय वरिष्ठ

माध्यमिक विद्यालय बहलबा, जिला रोहतक (2647) में सेवा करना जारी रखा।

(4) टीजीटी/अध्यापक के पद से अगली पदोन्नति (***प्राथमिक विद्यालय*** मुख्याध्यापक) की है। याचिकाकर्ता को दिनांक 09.11.2020 को दिनांक 24.08.2019 से उक्त पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन लंबित मुकदमे सहित विभिन्न बाधाओं के कारण विभाग द्वारा पदोन्नति के बाद तैनाती तुरंत नहीं की गई थी। आखिरकार, वर्ष 2020 में पदोन्नत किए गए ***प्राथमिक विद्यालय*** मुख्याध्यापक को दिनांक 26.04.2021 (अनुलग्नक पी-7) के आदेश के तहत विभिन्न स्टेशनों पर तैनात किया गया था। उक्त आदेश में याचिकाकर्ता को राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, मनेठी, जिला रेवाड़ी (2583) में भी तैनात किया गया था। याचिकाकर्ता के साथ लगभग 1100 ***प्राथमिक विद्यालय*** मुख्याध्यापक को वर्ष 2020 में पदोन्नत किया गया था और उन्हें विभिन्न स्टेशनों पर तैनात किया गया था। याचिकाकर्ता ने 28.04.2021 को एक अभ्यावेदन दायर करके उक्त तैनाती के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया, जिसमें एक दलील दी गई कि एसोसिएट एनसीसी अधिकारी, यदि वे स्थानांतरण अभियान में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, तो उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए और चूंकि याचिकाकर्ता एसोसिएट एनसीसी अधिकारी है और उसने स्थानांतरण के लिए अपनी सहमति नहीं दी है, इसलिए उसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से एक स्कूल के लिए, जिसमें एनसीसी ईकाई नहीं है। आखिरकार, याचिकाकर्ता ने 2021 के सीडब्ल्यूपी नंबर 9414 के रूप में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें 26.04.2021 (अनुलग्नक पी -7) के आदेश को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें याचिकाकर्ता को राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, मनेठी, जिला रेवाड़ी (2583) में पदोन्नति पर तैनात किया गया था।

(5) उक्त रिट याचिका का निपटारा इस न्यायालय द्वारा किया गया था, जिसमें महानिदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा को याचिकाकर्ता की शिकायत पर गौर करने और प्रचलित स्थानांतरण नीति को ध्यान में रखते

हुए एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर उसके अभ्यावेदन दिनांक 28.04.2021 का निपटान करने का निर्देश दिया गया था।

(6) इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसरण में, निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन दिनांक 28.04.2021 का फैसला करते हुए एक आदेश 07.05.2021 (अनुलग्नक पी-10) पारित किया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता ने राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, मनेठी, जिला रेवाड़ी में अपनी तैनाती पर आपत्ति जताई थी। याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन को अधिकारियों का समर्थन नहीं मिला और इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसका यह स्थानांतरण का मामला नहीं था, बल्कि पदोन्नति पर तैनाती का मामला था और इसलिए, स्थानांतरण नीति 29.06.2016 (अनुलग्नक पी -3), जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया जा रहा है, लागू नहीं होती। 07.05.2021 (अनुलग्नक पी-10) को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के बाद, याचिकाकर्ता को 08.05.2021 (अनुलग्नक पी -11) को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहलबा, जिला रोहतक (2647) से भारमुक्त कर दिया गया ताकि वह राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, मनेठी, जिला रेवाड़ी (2583) में पदभार ग्रहण कर सके। अभ्यावेदन को अस्वीकार करने वाले दिनांक 07.05.2021 (अनुलग्नक पी-10) के आदेश के साथ-साथ 08.05.2021 के आदेश (अनुलग्नक पी-11) में याचिकाकर्ता को पदोन्नत तैनाती के स्थान पर शामिल होने से भारमुक्त करने के आदेश को वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

(7) याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, मनेठी, जिला रेवाड़ी (2583) में, कोई एनसीसी ईकाई नहीं है और इसलिए, याचिकाकर्ता को राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, मनेठी, जिला रेवाड़ी (2583) में तैनात नहीं किया जा सकता है। तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के वकील ने रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.04.2019 (अनुलग्नक पी -2) को पारित एक आदेश पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया है कि एसोसिएट एनसीसी अधिकारियों

(एएनओएस) को वहाँ तैनात किया जाना चाहिए, जहां एनसीसी ईकाई है ताकि एएनओएस बेकार न हों।

(8) प्रस्ताव के नोटिस पर, प्रतिवादियों ने जवाब दायर किया है, जिसमें उन्होंने एक दलील दी है कि याचिकाकर्ता की तैनाती राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, मनेठी, जिला रेवाड़ी (2583) में प्राथमिक विद्यालय के मुख्याध्यापक के रूप में पदोन्नत होने के बाद हुई है और इसलिए, प्रशासनिक अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए जहां भी पद उपलब्ध पाया गया है, वहां उन्हें तैनात किया गया है क्योंकि लगभग 1100 प्राथमिक विद्यालय मुख्याध्यापक को उनकी पदोन्नति के बाद 26.04.2021 (अनुलग्नक पी -7) के आदेश के तहत तैनात किया गया था।

(9) आज कार्यवाही के दौरान, राज्य के वकील ने इस अदालत को सूचित किया कि उन्हें निदेशक प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा से दिनांक 16.06.2021 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय के मुख्याध्यापक का पद 3 स्थानों पर खाली पड़ा है, जहां एनसीसी इकाई है लेकिन कोई एनसीसी अधिकारी तैनात नहीं है और याचिकाकर्ता को वहां समायोजित किया जा सकता है। उक्त पत्र में, निम्नलिखित तीन विद्यालयों का उल्लेख किया गया है: -

1. जीएसएसएस सबापुर (240) जिला यमुनानगर।
2. जीएसएसएस रामबाग रोड (7), अंबाला कैंट, जिला अंबाला
3. जीएसएसएस बोह (18) जिला अंबाला कैंट, जिला अंबाला।

(10) उक्त प्रस्ताव याचिकाकर्ता के वकील के समक्ष रखा गया था, लेकिन विद्वान वकील ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता केवल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहलबा, जिला रोहतक (2647) में तैनात रहना चाहता है, जहां एक एनसीसी इकाई है और इसलिए, उसे उक्त स्कूल से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता को उपर्युक्त तीनों स्टेशनों पर तैनात करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जहां एनसीसी इकाइयां उपलब्ध थीं और याचिकाकर्ता को

प्राथमिक विद्यालय के मुख्याध्यापक के पदोन्नत पद पर समायोजित किया जा सकता था।

(11) इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता को अपनी पसंद के किसी विशेष स्थान पर तैनाती का दावा करने का कोई अधिकार है या वह सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी है। आगे प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान मामला पदोन्नति पर तैनाती का है और कि स्थानांतरण नीति वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू होगी और कि भारत सरकार द्वारा अनुलग्नक पी -2 के तहत जारी किए गए दिशानिर्देश, याचिकाकर्ता को किसी विशेष स्टेशन या शिक्षा विभाग में सेवा जारी रखने का कोई अधिकार प्रदान करेंगे। जो प्रशासनिक अनिवार्यताओं में याचिकाकर्ता का नियोक्ता है, उसे याचिकाकर्ता को तैनात करने का अधिकार है, भले ही सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत परिकल्पित कोई एनसीसी इकाई न हो।

(12) उन तथ्यों से, जो पहले यहां बताए गए हैं, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2006 में नियमित रूप से नियुक्त किए जाने के बाद, वह लगातार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहलबा, जिला रोहतक (2647) में सेवारत है। पिछले लगभग 15 वर्षों से, याचिकाकर्ता उक्त स्कूल में सेवारत है। याचिकाकर्ता के आचरण से पता चलता है कि वह उक्त स्कूल में बने रहना चाहता है और भारत सरकार द्वारा जारी 04.04.2019 (अनुलग्नक पी-2) के पत्र पर भरोसा करके 26.04.2021 (अनुलग्नक पी -7) के तैनाती के आदेश के संबंध में शिकायत उठाना चाहता है कि एएनओ को उस स्कूल में तैनात किया जाना चाहिए, जहां एनसीसी ईकाई मौजूद है। जोकि एक छदम आवरण है। यह तथ्य साबित होता है क्योंकि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी-विभाग के स्कूल में शामिल होने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, जहां प्राथमिक विद्यालय के मुख्याध्यापक के पदोन्नत पद पर भी एनसीसी ईकाई मौजूद है और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहलबा,

जिला रोहतक (2647) में जारी रखने के लिए अड़ा हुआ है, जहां वह पिछले 15 वर्षों से सेवा कर रहा है।

(13) पार्टियों के बीच यह स्वीकार किया जाता है कि सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार, याचिकाकर्ता पूरे हरियाणा राज्य में सेवा करने के लिए उत्तरदायी है, जहां पर भी वह पद मोजूद हो जिस पर वह काम कर रहा है। सेवा नियमों को जारी दिशा-निर्देशों पर प्राथमिकता दी जाएगी एक बार, सेवा नियमों में यह परिकल्पना की गई है कि याचिकाकर्ता को हरियाणा राज्य में कहीं भी तैनात किया जा सकता है, नियोक्ता यानी शिक्षा विभाग याचिकाकर्ता को हरियाणा राज्य में कहीं भी तैनात करने के अपने अधिकार के अंतर्गत होगा और दिशानिर्देश याचिकाकर्ता को तैनात करने के लिए हरियाणा राज्य की शक्तियों के भीतर बाधा पैदा नहीं कर सकते हैं, भले ही वहाँ कोई एनसीसी इकाई मौजूद न हो, यदि प्रशासनिक अनिवार्यताएं भी यही मांग करती हों । इसलिए, याचिकाकर्ता अपनी पसंद के किसी विशेष स्थान पर सेवा जारी रखने का दावा नहीं कर सकता है, जहां वह पिछले 15 वर्षों से सेवा कर रहा है ताकि याचिकाकर्ता को भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर भरोसा करके उसकी पदोन्नति पर राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, मनेठी, जिला रेवाड़ी (2583) में तैनात करने के प्रतिवादी विभाग के प्रशासनिक निर्णय को चुनौती दी जा सके (अनुलग्नक पी-2)।

(14) इसके अलावा, वर्तमान मामला स्थानांतरण का मामला नहीं है, बल्कि पदोन्नति पर तैनाती का मामला है। न केवल याचिकाकर्ता बल्कि 1100 कर्मचारियों को विभिन्न स्टेशनों पर पदोन्नति पर तैनात किया गया है। प्रतिवादी-स्कूल द्वारा शक्तियों का प्रयोग एक प्रशासनिक कार्य है और किसी विशेष स्टेशन पर किसी विशेष व्यक्ति की तैनाती नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में है और इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि उक्त कार्य दुर्भावनापूर्ण न हो। चूंकि वर्तमान मामला पदोन्नति पर तैनाती का है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 26.04.2021 (अनुलग्नक पी-7) के आदेश को स्थानांतरण आदेश मानकर 26.04.2021 (अनुलग्नक पी-7) के आदेश के खिलाफ शिकायत उठाने के लिए दिनांक 29.06.2016

की स्थानांतरण नीति (अनुलग्नक पी-3) पर भरोसा करना पूरी तरह से गलत है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, वर्तमान मामले में, उक्त स्थानांतरण नीति लागू नहीं है।

(15) इसके अलावा, दिनांक 04.04.2019 (अनुलग्नक पी-2) के दिशानिर्देश, जिन पर याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किया जा रहा है, जिसके अनुसार, राज्यों को भारत संघ द्वारा इस आशय का निर्देश दिया गया था कि एएनओ को उस स्कूल में तैनात किया जाए जहां एनसीसी इकाई मौजूद है, याचिकाकर्ता को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा ताकि पदोन्नति पर उसकी तैनाती को चुनौती दी जा सके। यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि दिशानिर्देश न्यायोचित नहीं हैं और कोई न्यायसंगत अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। इस अदालत ने 25.10.2017 को नेहा सूद बनाम पंजाब राज्य नामक 2017 के सीडब्ल्यूपी नंबर 24075 पर फैसला सुनाते हुए कहा कि स्थानांतरण सेवा की घटना है और स्थानांतरण नीति / निर्देशों का उल्लंघन कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है क्योंकि स्थानांतरण नीति / दिशानिर्देश एक कर्मचारी को लागू करने योग्य अधिकार प्रदान नहीं करती। उक्त निर्णय के संगत पैराग्राफ 9 निम्नानुसार हैं:-

> "9. स्थानांतरण सेवा की एक घटना है। स्थानांतरण/तैनाती के मामलों को नियोक्ता के निर्णय पर छोड़ देना सबसे अच्छा है। स्थानांतरण के आदेशों को केवल तभी चुनौती दी जा सकती है जब वे वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पारित किए गए हों या दुर्भावना से दूषित हों। स्थानांतरण नीति/दिशा-निर्देशों में निहित नियम और शर्तें किसी कर्मचारी को प्रवर्तनीय अधिकार प्रदान नहीं करती हैं। इस संबंध में **भारत संघ बनाम एसएल अब्बास, 1995 (4) एससीटी 455 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है**।

(16) वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता दिनांक 04.04.2019 (अनुलग्नक पी -2) के दिशानिर्देशों को लागू करने की कोशिश कर रहा है

ताकि पदोन्नति पर उसकी तैनाती को रद किया जा सके, जो स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह याचिकाकर्ता को लागू करने योग्य अधिकार प्रदान नहीं करता है।

(17) इसके अलावा, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय द्वारा स्थानांतरण में हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए और केवल तभी इसका सहारा लिया जा सकता है जहां उक्त स्थानांतरण स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना या दुर्भावना का परिणाम हों। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 07.02.2020 को ***भारत संघ और अन्य बनाम दीपक निरंजन नाथ पंडित*** 2020 की सिविल अपील संख्या 1236 पर फैसला सुनाते हुए कहा कि उच्च न्यायालय सहित न्यायालय स्थानान्तरण के संबंध में निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का सहारा नहीं ले सकते क्योंकि उच्च न्यायालय को नियोक्ता को यह निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है कि कर्मचारी को कहां तैनात किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 4 निम्नानुसार है:-

> "4. उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण के आदेश में हस्तक्षेप करते हुए दो परिस्थितियों पर भरोसा किया है। सबसे पहले, उच्च न्यायालय ने गोर किया है कि स्थानांतरण के आदेश पर रोक के परिणामस्वरूप, प्रतिवादी का मुख्यालय मुंबई में रहेगा और भले ही उसे निलंबित किया जाए, उसका मुख्यालय मुंबई में ही रहेगा। दूसरा कारण, जिसे उच्च न्यायालय के साथ तौला गया है, यह है कि प्रतिवादी का पति हृदय रोग से पीड़ित है और मुंबई में चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहा है। हमारे विचार में, इनमें से कोई भी कारण उच्च न्यायालय के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का सहारा इस तरह का एक निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के लिए एक वैध औचित्य प्रस्तुत नहीं कर सकता है। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया इस आशय का मामला भी नहीं पाया है कि स्थानांतरण का आदेश या तो दुर्भावनापूर्ण था या कानून का उल्लंघन था। उच्च न्यायालय नियोक्ता को यह निर्देश नहीं दे

सकता था कि निलंबन की अवधि के दौरान प्रतिवादी को कहां तैनात किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत कठिनाइयां भारत संघ के लिए, एक नियोक्ता के रूप में, निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने के मामले हैं। हालांकि, हमारा स्पष्ट रूप से विचार है कि स्थानांतरण के आदेश में हस्तक्षेप करने वाला उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश अधिकार क्षेत्र से अधिक था और न्यायिक शक्ति का अनुचित प्रयोग था। हम यह देखने के लिए विवश हैं कि लागू आदेश स्थापित सिद्धांतों और मिसालों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा लगातार प्रतिपादित और पालन किया गया है। स्थानांतरण के कानूनी आदेश को रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जिस तरह से न्यायिक शक्ति का प्रयोग किया गया है, वह बेचैन करने वाला है। हम अपनी अस्वीकृति व्यक्त करते हैं।

(18) वर्तमान मामले में, हालांकि, याचिकाकर्ता को तीन स्कूलों में तैनाती का विकल्प दिया गया था, जहां एनसीसी ईकाई ***प्राथमिक विद्यालय*** मुख्याध्यापक के पदोन्नत कैडर में उपलब्ध है, लेकिन याचिकाकर्ता ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इस बात पर अड़ा रहा कि वह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहलबा, जिला रोहतक (2647) में तैनात रहने का हकदार है, जहां याचिकाकर्ता पिछले करीब 15 साल से सेवा रत है। यह आचरण के साथ-साथ सच्चे इरादे को भी दर्शाता है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(19) यह न्यायालय, ऊपर दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मानता है कि 26.04.2021 (अनुलग्नक पी-7) के आदेश के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, मनेठी, जिला रेवाड़ी (2583) में तैनात किया गया है और 07.05.2021 (अनुलग्नक पी-10) जिसके तहत अभ्यावेदन रद किया गया। साथ ही साथ आदेश दिनांक 08.05.2021 जिसके तहत उसे

राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय, मनेठी, जिला रेवाड़ी (2583) से भार मुक्त किया गया के आदेश को भी अस्वीकार कर दिया गया है।

(20) नतीजतन, लागत के रूप में बिना किसी आदेश के रिट याचिका को खारिज कर दिया जाता है।

संवाददाता

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

करमबीर डबास,
(अनुवादक)